संख्या 7/क0नि0प्र0/26-3-2000-201181/2000

प्रेषक,

आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.)
पदेन जिला प्रबन्धक,
उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण विभाग
(कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)

लखनऊ, दिनांक: 27 जून,2000

विषय:सेनेटरी मार्ट योजना के संचालन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में अभी भी मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे का प्रचलन है। इस अमानवीय पेशे से सम्बद्ध स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों की विमुक्ति एवं पुनर्वासन हेतु प्रदेश में संचालित योजनाओं में अभी तक सीमित सफलता प्राप्त हो सकी है। इस सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिये मा. प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 1999 में घोषणा की कि स्वच्छकारों का पुनर्वासन राष्ट्रीय लक्ष्य है। पिछले अनुभवों से स्पष्ट है कि शुष्क शौचालयों के रहते स्वच्छकारों की विमुक्ति सम्भव नहीं है। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में सेनेटरी मार्ट योजना के माध्यम से स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वासन किया जाना प्रस्तावित है।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेनेटरी मार्ट योजना प्रदेश में उसी प्रकार मिशन के रूप में चलायी जायेगी जिस प्रकार सम्पूर्ण साक्षरता योजना प्रदेश में मिशन के रूप में चलायी गयी थी। इसके लिए जनपद स्तर पर मैला ढोने के पेशे से स्वच्छकारों को मुक्त करने हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय तथा सहयोग

से सघन प्रयास किया जाना आवश्यक है। जनपद तथा मण्डल स्तर पर इस कार्य में लगे लोगों का शतप्रतिशत चिन्हांकन करके एक कार्य योजना तथा रणनीति तैयार करके निश्चित अवधि के अन्तर्गत "मण्डल/जनपद को उक्त पेशे से पूर्णतया मुक्त" घोषित किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य में सफलता हासिल करने वाले मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को शासन स्तर से प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जायेगा। इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध सैनिक/सिविल सेवानिवृत्त अवैतनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, उपलब्ध चैरिटी संस्थाओं तथा मा. जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग एवं सेवा प्राप्त किया जाना महत्वपूर्ण है। विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों तथा अन्य प्रभावी माध्यमों का उपयोग भी आवश्यक है।

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना की सफलता एवं आर्थिक परिपुष्टता विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कनवरजेंस) तथा विभिन्न विभागों के अर्न्तविभागीय सहयोग पर आधारित होगा। विभिन्न विभागों द्वारा सेनेटरी मार्ट के संचालन में विभागीय सहयोग हेतु आदेश अलग से निर्गत किये जा रहे है। इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा समयबद्धता जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नोडल एजेन्सी है। इस सम्बन्ध में मेरे अर्द्धशासकीय पत्रांक 1202/क.नि.प्र./26-3-2000-20(18)/2000, दिनांक 29 मई, 2000 तथा पत्र संख्या 1325/क.नि.प्र./26-3-2000-20(18)/2000, दिनांक 12 जून, 2000 द्वारा पूर्व में भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग-निर्देश आपको भेजे जा चुके है। इसी तारतम्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है।

अपेक्षा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आपका जनपद/मण्डल शीघ्र ही इस अमानवीय पेशे से मुक्त हो जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

पी.एल. पुनिया

(पी.एल. पुनिया)
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 1457/क0नि0प्र0/26-3-2000तद्दिनांक

प्रतिलिपि: (क) निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी, उ.प्र. शासन।
2. मुख्य सचिव, उ.प्र. के स्टाफ अधिकारी, उ.प्र. शासन।

(ख) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. शासन।
4. सचिव, आवास विभाग, उ.प्र. शासन।
5. सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन।
6. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
7. सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
8. सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन।
9. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
10. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन।
11. सचिव, बैंकिंग, उ.प्र. शासन।
12. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश।
14. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ।

(पी.एल. पुनिया)
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव